Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026 ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 25-05-2026 **Revised**: 27-05-2026 **Accepted**: 30-05-2026

''अपचारी बालकों के मानवाधिकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

(रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

निर्देशक
' * डॉ. आलोक कुमार मिश्रा
फैकल्टी, विधि विभाग
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी
** तिरंगा आदर्श
एल.एल.एम.
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

सारांश (Abstract) :-

यह शोध पत्र भारत में अपचारी बालकों के मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करता है। इसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणाओं के सन्दर्भ में बालकों के अधिकारों उनके सुधार की प्रक्रिया और न्याय प्रणाली की चुनौतियों पर चर्चा की गई है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या वर्तमान कानूनी ढाँचा इन बच्चों के पुनर्वास और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है।

शब्द कुंजी– बाल अपचारिता, आयु, वर्ग, शिक्षा, व्यवहार, मानवाधिकार आदि।

प्रस्तावना (Indroduction) :–

बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। जब कोई बालक कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अपराधी मानने के बजाय अपचारी माना जाता है क्योंकि उसकी मानसिक परिपक्वता पूर्ण नहीं होती। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यह स्पष्ट करते हैं कि अपचारी बालकों के साथ भी मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

ऐसा बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिस पर विधि के उल्लंघन का आरोप हो अपचारी बालक कहलाते हैं।[1]

निलिन एवं गिलिन के अनुसार– ''वह बालक जो समाज द्वारा बनाये गये नियमों

[1] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, पृ. 19

का उल्लंघन करता है अपचारी बालक है।''[2]

अपचारी बालक जो असामाजिक अथवा विधि विरुद्ध व्यवहार से है जो विधि द्वारा निर्धारित आयु से कम बालकों द्वारा किया जाता है ऐसे बालक अपचारी बालक होते हैं।[3]

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त वे मौलिक अधिकार हैं जो उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा की रक्षा करते हैं बालक समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण ने उनकी प्रमुख भूमिका होती है जब कोई बालक कानून के विरुद्ध आचरण करता है। अथवा अपराध की श्रेणी में आने वाले कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तब उसे अपचारी बालक कहा जाता है।[4]

अपचारी बालकों की समस्या केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों में भी जुड़ी होती है। गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, नशे की प्रवृत्ति, बुरी संगति तथा सामाजिक उपेक्षा जैसे अनेक कारण बाल अपराध को जन्म देते हैं इसलिए अपचारी बालकों को केवल अपराधी के रूप में देखना उचित नहीं बल्कि उन्हें सुधार एवं पुनर्वास की आवश्यकता वाले बालक के रूप में समझना चाहिए।

भारतीय संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणाओं में बच्चों के संरक्षण एवं विकास पर विशेष बल दिया गया है।[5] Universal Declaration of Human Rights, United Nations द्वारा स्वीकृत Convention on the Rights of the child में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है।

भारत में Juvenile justice (care and protection of children Act) के माध्यम से अपचारी बालकों के सुधार संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। अपचारी बालकों के मानवाधिकार का उद्देश्य उन्हें पवित्र करना नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इन अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं पुनर्वास तथा सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्रमुख है।

---

[2] Juvenile Delinguency

[3] Criminology and Penology. Central Law Publications.

[4] भारतीय संविधान भाग–3 और 4

[5] Human Right : A source book (Unesco / Un / Publications)

शोध का उद्देश्य :–

(i) अपचारी बालकों की वर्तमान स्थिति और उनके साथ होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन की पहचान करना।

(ii) सुधार गृहों की स्थिति का मानवाधिकार के नजरिये से विश्लेषण करना।

(iii) कानूनी प्रक्रियाओं (जैसे गिरफ्तारी, सुनवाई) के दौरान बाल अधिकारों के पालन की समीक्षा करना।

(iv) अपचारी बालकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के विश्लेषण करना।

(v) समाज में उनके पुनर्वास के लिए सुझाव।

शोध की परिकल्पना :–

1. सुधार गृह में क्षमता से अधिक अपचारी बालक रखे जाते हैं।
2. अपचारी बालकों को सुधार गृह में उपलब्ध सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं।
3. अपचारी बालकों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है।
4. अपचारी बालकों को विधि द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

शोध का क्षेत्र एवं प्रविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन अपचारी बालकों के मानवाधिकार से संबंधित है जिसकी पूर्णतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त सामाजिक, न्यायिक एवं अपराधिक आँकड़ों द्वारा संभव हो सका है जिनका चयन उनकी आयु, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर निहित प्रश्नावली के द्वारा दैव निदर्शन विधि से प्राप्त किया गया अध्ययन में आवश्यकतानुसार द्वितीय आँकड़ों का उपयोग भी किया गया है, जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, मानव अधिकार आयोग, न्यायालय एवं पुलिस स्टेशन के कार्यालय से प्राप्त किया गया है। यथा स्थान अग्र निर्णय व न्यायिक निर्णयों को समाहित करते हुए कार्य को पूर्ण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 150 बाल अपचारी को शामिल किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :–

रीवा मध्य प्रदेश ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जिला जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। यह विंध्य पठार पर स्थित है।

रीवा जिला को जलप्रपातों की भूमि भी कहा जाता है। बहुती जलप्रपात रीवा जिले का सबसे बड़ा और ऊँचा जलप्रपात है जिसकी ऊँचाई लगभग 198

मीटर प्रदेश फीट है। इसके अलावा चचाई जलप्रपात यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है उसकी ऊँचाई लगभग (430 फीट) है। यह बीहर नदी पर स्थित है। इसकी प्रकार केवटी और पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले की प्राकृतिक सुन्दरता को बढ़ाते हैं।

रीवा जिला बघेल राजवंश की राजधानी हुआ करता था यहाँ रीवा का किला है, जो बीहर नदी के किनारे स्थित है। यह सफेद बांधों के नाम से भी जाना जाने वाला जिला है। महाराजा मार्तण्ड सिंह ने सफेद बाध मोहन को पकड़ा था।

शोध का महत्व :–

(1) बाल अपराध के कारणों की पहचान –

शोध के माध्यम से गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, नशाखोरी, सामाजिक उपेक्षा एवं बुरी संगति जैसे कारणों का विश्लेषण किया जाता है जो बाल अपराध को जन्म देती है।

(2) मानवाधिकारों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन –

शोध यह जानने में सहायक होता है कि सुधार गृहों, पुलिस हिरासत तथा न्यायिक संस्थाओं में अपचारी बालकों के मानवाधिकारों का पालन किस सीमा तक हो रहा है।

(3) कानूनों एवं नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन –

Juvenile justice (Care and Protection 01 children Act) तथा अन्य बाल संरक्षण कानूनों के प्रभाव एवं उनकी कतियों का मूल्यांकन शोध के माध्यम से किया जा सकता है।

(4) सुधार एवं पुनर्वास की नई विधियों का विकास –

शोध के आधार पर शिक्षा, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी नई सुधारात्मक नीतियाँ विकसित की जा सकती है जिससे बालकों का पुनर्वास अधिक प्रभावी हो सके।

(5) मानवाधिकार उल्लंघनों की रोकथाम –

शोध के द्वारा उन परिस्थितियों एवं व्यवस्थागत कमियों की पहचान की जाती है जिनके कारण अपचारी बालकों के अधिकारों का हनन होता है उसमें सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकते हैं।

अपचारी बालकों के मानवाधिकार –

(1) समानता और संरक्षण का अधिकार[6] (अनुच्छेद 19.15)

प्रत्येक अपचारी बालकों को विधि के समक्ष ममता और विधि के समान संरक्षण प्राप्त होंगे।

और किसी भी अपचारी बालक के साथ जाति, लिंग, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सभी बालकों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।

(2) शिक्षा का अधिकार[7]– (अनु0 21 A)

अपचारी बालकों के लिए सुधार ग्रहों या बाल ग्रहों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(3) निःशुल्क सहायता का अधिकार – (अनु0 39 A)

अपचारी बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

(4) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार

अपचारी बालकों को सुधार ग्रहों में या बाल ग्रहों में उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था का अधिकार है।

(5) गोपनीयता का अधिकार –

अपचारी बालकों की पहचान, नाम, फोटो या व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।

(6) पसंद के अधिवक्ता –

अपचारी बालकों को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है।

(7) सुनवाई का अधिकार –

किसी भी मामले में निर्णय देने के पहले अपचारी बालकों को सुनवाई का अवसर दिया जाना।

(8) शोषण एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार (अनु0 23–20)

अपचारी बालकों को शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।

(9) जीवन एवं गरिमा का अधिकार[8] (अनु0 21)

- प्रत्येक अपचारी बालकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।
- उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

(10) कठोर दण्ड से मुक्ति का अधिकार–

अपचारी बालकों को कठोर दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए।

[6] भारतीय संविधान भाग 3 और 4।

[7] भारतीय संविधान भाग–3 और 4।

[8] भारतीय संविधान भाग 3 और 4।

(11) पुनर्वास का अधिकार[9] –

शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श एवं पुनर्वास कार्यक्रमों द्वारा समाज में पुनःस्थापित करने का अधिकार।

(12) दोहरे दण्ड से संरक्षण[10]–

अपचारी बालकों को उसी अपराध के लिए दोबारा दण्डित नहीं किया जायेगा।

(13) अपील करने का अधिकार[11] :–

अपचारी बालकों को अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है।

(14) जमानत का अधिकार[12] :–

अपचारी बालकों को किशोर न्याय 2015 की धारा 12 के अनुसार जमानत का अधिकार प्राप्त है।

बाल संप्रेक्षण गृह रीवा :–

उत्तरदाताओं ने 150 दैव निदर्शन विधि से साक्षात्कार लिया तथा प्रश्नावली के द्वारा उनके अभिमत अनुसार सारणी के द्वारा दर्शाया गया–

सारणी क्र.–01
सुधार गृह में क्षमता से अधिक अपचारी बालक लाये जाते हैं

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	86	57.33
2	नहीं	44	29.33
3	पता नहीं	20	13.34
कुल		**150**	**100.00**

आरेख क्रमांक–01

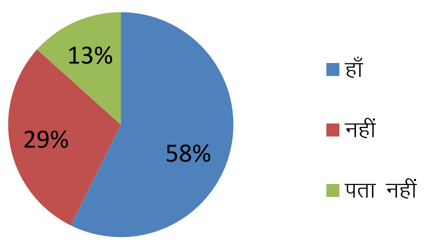

उक्त सारणी के अध्ययन से अवगत होता है कि सुधार गृह में क्षमता से अधिक अपचारी बालकों के लाये जाने के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 86 (57.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत हाँ में व्यक्त किये हैं, 44 (29.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत नहीं में व्यक्त किये हैं जबकि 20 (13.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पता नहीं में अपना विचार व्यक्त किये।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 57.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में विचार व्यक्त किये कि क्षमता से अधिक अपचारी बालकों को सुधार गृह में रखा गया है।

[9] किशोर न्याय/बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम 2015

[10] भारतीय संविधान भाग 3 और 4।

[11] किशोर न्याय/बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम 2015

[12] किशोर न्याय/बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम 2015

सारणी क्र.–02

सुधार गृह में पर्याप्त भोजन दिया जाता है

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	106	70.67
2	नहीं	37	24.66
3	पता नहीं	07	04.67
कुल		**150**	**100.00**

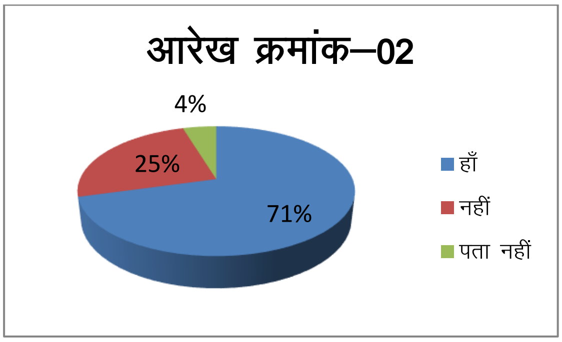

उक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सुधार गृह में पर्याप्त भोजन दिया जाता है के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 106 (70.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत हाँ में व्यक्त किये हैं, 37 (24.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत नहीं में व्यक्त किये हैं जबकि 07 (04.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पता नहीं में व्यक्त किये।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुधार गृह में पर्याप्त भोजन दिया जाता है हाँ कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 70.67 प्रतिशत सर्वाधिक है।

सारणी क्र.–03

सुधार गृह में मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएँ हैं

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	90	60.00
2	नहीं	25	16.67
3	पता नहीं	35	23.33
कुल		**150**	**100.00**

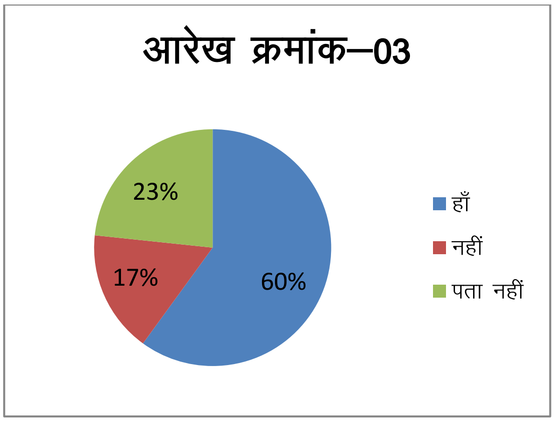

उक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुधार गृह में मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएँ हैं के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से अवगत होता है कि 90 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएँ हैं, 25 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएँ नहीं हैं जबकि 35 (23.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार व्यक्त किये कि सुधार गृह में सुविधाएँ सुचारू रूप से मिलती हैं।

सारणी क्र.–04
सुधार गृह में शिक्षा के लिए पुस्तकें दी जाती हैं

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	95	63.33
2	नहीं	40	26.67
3	पता नहीं	15	10.00
कुल		**150**	**100.00**

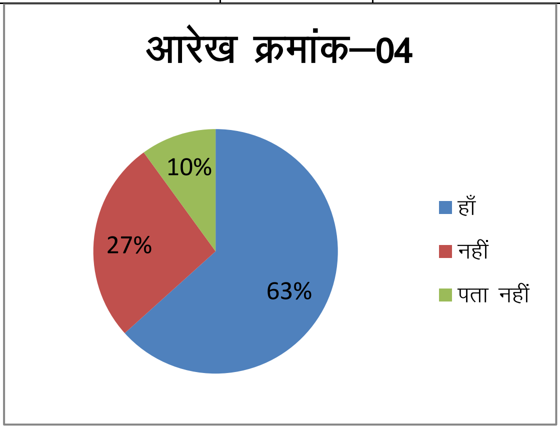

उक्त सारणी के अध्ययन से अवगत होता है कि सुधार गृह में शिक्षा के लिए पुस्तकें दी जाती हैं के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 95 (63.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में शिक्षा के लिए पुस्तकें दी जाती हैं, 40 (26.64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में शिक्षा के लिए पुस्तकें नहीं दी जाती हैं जबकि 15 (10.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में शिक्षा के लिए पुस्तके दिये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 63.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सुधार गृह में शिक्षा के अध्ययन के लिए पुस्तकें दी जाती हैं।

सारणी क्र.–05
सुधार गृह में रहने वाले अपचारी बालकों को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	105	70.00
2	नहीं	25	16.66
3	पता नहीं	20	13.33
कुल		**150**	**100.00**

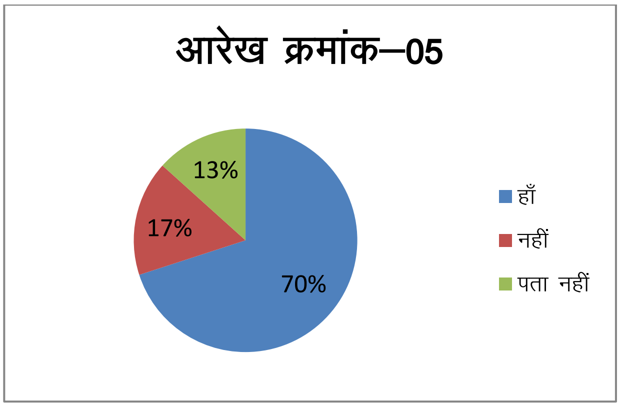

उक्त सारणी के अध्ययन से विदित होता है कि सुधार गृह में रहने वाले अपचारी बालकों को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 105 (70.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में रहने वाले अपचारी बालकों को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, 25 (16.66 प्रतिशत)

उत्तरदाताओं को समाज में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है जबकि 20 (13.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को समाज में भेदभाव का सामना करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 70.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सुधार गृह में रहने वाले अपचारी बालकों को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

सारणी क्र.–06
सुधार गृह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ दी जाती हैं

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	85	56.66
2	नहीं	55	36.67
3	पता नहीं	10	06.67
कुल		**150**	**100.00**

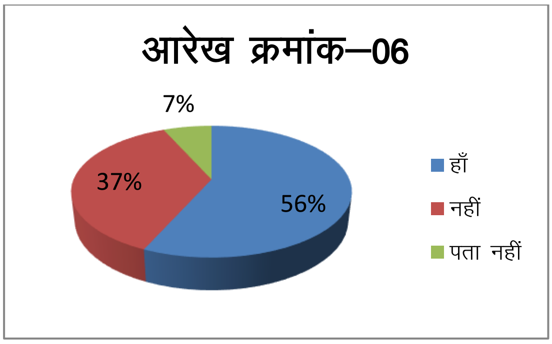

उक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सुधार गृह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ दी जाती हैं के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 85 (56.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ दी जाती हैं, 55 (36.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं जबकि 10 (06.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सुधार गृह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ दी जाती हैं।

सारणी क्र.–07
सुधार गृह में कानूनी सहायता दी जाती है

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	102	68.00
2	नहीं	30	20.00
3	पता नहीं	18	12.00
कुल		**150**	**100.00**

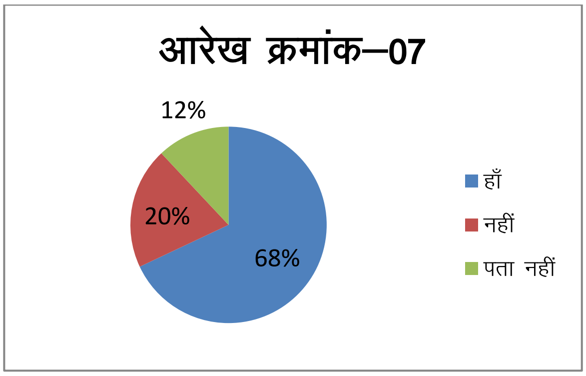

उक्त सारणी के अध्ययन से विदित होता है कि सुधार गृह में कानूनी सहायता दी जाती है के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार तथा उनका

वर्गीकरण कर विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 102 (68.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में कानूनी सहायता दी जाती है, 30 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सुधार गृह में कानूनी सहायता नहीं दी जाती है जबकि 18 (12. 00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को कानूनी सहायता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 68.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सुधार गृह में कानूनी सहायता दी जाती है।

परिकल्पनाओं का सत्यापन :–

परिकल्पना क्रमांक–01 सुधार गृह में क्षमता से अधिक अपचारी बालक रखे जाते हैं।

सारणी क्रमांक 01 से प्रमाणित होता है कि सुधार गृह में क्षमता से अधिक अपचारी बालकों को रखा जाता है के संबंध में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 57.33 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने विचार हाँ में व्यक्त किये हैं। उक्त के संबंध प्राप्त जानकारी आंशिक रूप से सत्यापित होती है।

इस प्रकार परिकल्पना क्रमांक–01 आंशिक सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक–02 अपचारी बालकों को सुधार गृह में उपलब्ध सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं।

सारणी क्रमांक 03 से प्रमाणित होता है कि अपचारी बालकों को सुधार गृह में उपलब्ध सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं के संबंध में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने विचार हाँ में व्यक्त किये हैं। उक्त के संबंध प्राप्त जानकारी पूर्णरूप से सत्यापित होती है।

इस प्रकार परिकल्पना क्रमांक–02 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक–03 अपचारी बालकों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है।

सारणी क्रमांक 05 से प्रमाणित होता है कि अपचारी बालकों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है के संबंध में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 70.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने विचार हाँ में व्यक्त किये हैं। उक्त के संबंध प्राप्त जानकारी पूर्णरूप से सत्यापित होती है।

इस प्रकार परिकल्पना क्रमांक–03 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक–04 अपचारी बालकों को विधि द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

सारणी क्रमांक 07 से प्रमाणित होता है कि अपचारी बालकों को विधि द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं के संबंध में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 68.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने विचार हाँ में व्यक्त किये हैं। उक्त के संबंध में प्राप्त जानकारी पूर्णरूप से सत्यापित होती है।

इस प्रकार परिकल्पना क्रमांक–04 पूर्णतः सत्यापित है।

निष्कर्ष :–

अपचारी बालकों के मानवाधिकारों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि बाल अपराध केवल कानूनी समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ विषय है। जब कोई बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है तब उसके पीछे, गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, गलत संगति, नशा, बेरोजगारी तथा सामाजिक उपेक्षा जैसे अनेक कारण कार्य करते हैं। इसलिए अपचारी बालकों को केवल अपराधी के रूप में देखना उचित नहीं बल्कि उन्हें संरक्षण मार्गदर्शन और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक बालक को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान National Human Rights Commission, United Nations द्वारा बाल अधिकार संबंधी सिद्धान्त तथा United Nations Convention on the Right of the child यह सुनिश्चित करता है कि अपचारी बालकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उन्हें सुधार एवं पुनर्वास का अवसर प्रदान किया जाए।

सुझाव :–

(1) शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था – अपचारी बालकों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अपराध से दूर रहे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

(2) पारिवारिक वातावरण में सुधार – बालकों के माता–पिता को संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए तथा उन्हें उचित मार्ग दर्शन एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(3) मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा – अपचारी बालकों के लिए नियमित काउंसलिंग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

(4) सुधार गृहों की स्थिति में सुधार – सुधार गृहों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालकों का समुचित पुनर्वास हो सके।

(5) व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण – बालकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और पुनः अपराध की ओर न जाए।

(6) मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता – समाज, विद्यालय तथा परिवारों में बाल अधिकारी एवं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।

(7) नशा एवं गलत संगति पर नियंत्रण – बालकों को नशे, हिंसा और गलत संगति से बचाने के लिए समाजिक एवं प्रशासनिक स्तर पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015
2. Juvenile Delinguency
3. Criminology and Penology. Central Law Publications.
4. भारतीय संविधान भाग 3 व 4
5. Human Rights : A source book (Uncesco / Un / Publication)
6. उच्चतम न्यायालय, NHRC और NCRB की वार्षिक रिपोर्ट, JJ Act, India Constitution
7. दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961
8. योजना, पत्रिका उपयोगिता दर्पण, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इंटरनेट
9. डॉ. बसंती लाल बेवल, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
10. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम 2021
11. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बाल संरक्षण, भारत सरकार

****